भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. 270***
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

**जिला स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण पार्क**

***270. श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(क)** क्या सरकार का विचार सोयाबीन, चना, मक्का, फल और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में जिला स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

**(ख)** उक्त जिलों के लिए भूमि की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निवेश प्रस्तावों और केन्द्रीय सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है;

**(ग)** प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शीत श्रृंखला, भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उक्त जिलों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

**(घ)** इन पार्कों की स्थापना के कारण किसानों की आय और स्थानीय रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री**
**(श्री चिराग पासवान)**

**(क) से (घ):** विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

******

**दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए" जिला स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण पार्क" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *270 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क)** और **(ख):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय(एमओएफ़पीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जो छह घटक योजनाओं वाली एक केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण सुविधायें लगाने के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में मदद देती है। मंत्रालय खुद कोई खाद्य प्रसंस्करण सुविधा/फूड पार्क नहीं लगाता है। खाद्य प्रसंस्करण पार्क लगाने को कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी) के घटक के तहत सहायता दी जाती है।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी) का मकसद कम से कम 10 एकड़ ज़मीन पर आधुनिक अवसंरचना बनाना है, ताकि उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाकर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स लगाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत और कठिन और पहाड़ी इलाकों जैसे सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों के आईटीडीपी नोटिफाइड इलाकों में 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में मदद देता है, जो हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है। यह स्कीम राज्य विशिष्ट नहीं है, बल्कि यह एक मांग पर आधारित स्कीम है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई) के आधार पर संभावित निवेशकों/उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाये जाते हैं।

मंत्रालय ने 31 मार्च 2021 तक मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी) भी लागू की है, जिसका मकसद खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिए आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं देना है। जिसे कम से कम 50 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा।
आज तक, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों से एमओएफ़पीआई की एपीसी या एमएफ़पी योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

**(ग):** प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आने वाली घटक योजना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन /विस्तार योजना (सीईएफ़पीपीसी) के तहत , मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन ज़िलों से अब तक कुल आठ प्रस्ताव मिले हैं। लेकिन, किसी भी प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं मिली है।

**(घ):** चूंकि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में एपीसी और एमएफपी योजनाओं के तहत कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

******